1 आपराधिक प्रकरण कमांक 570/2015

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण कमांक 570 / 2015</u> संस्थापित दिनांक 10 / 08 / 2015

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

> > अभियोजन

बनाम

 राजेश पुत्र रामचरन तोमर उम्र ४३ साल निवासी- वार्ड क० ०८ गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

...... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 294, 324, 506 भाग—2 भा०द०सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री राकेश भटेले।)

::- नि र्ण य -::

(आज दिनांक 26.02.2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 25/09/14 को 11:30 बजे बस स्टेण्ड गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी पप्पन खॉ को मॉ बहन की अश्लील गालियॉ देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित करने, फरियादी पप्पन खॉ को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी पप्पन खॉ की धारदार पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु भाठदंठसंठ की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 324 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2014 को दिन के 11:30 बजे फिरयादी पप्पन बस स्टेण्ड पर खड़ा था तभी आरोपी राजेश तोमर उसके पास आया था। आरोपी ने उससे उधारी के पांच रूपए मांगे थे, उसने पांच रूपए बाद में बापस करने के लिए कहा था। इसी बात पर आरोपी राजेश ने जमीन से पत्थर उठाकर उसके िसर में मार दिया था, फिर उसने पत्थर फिरयादी के माथे पर बायी तरफ मारा था, जिससे फिरयादी के खून निकलने लगा था। आरोपी ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी थी। मौके पर अजाक पठान ने घटना देखी थी। फिरयादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क0 312/14 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के

दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झूढा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए है :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.09.2014 को 11:30 बजे बस स्टेण्ड गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी पप्पन खॉ को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
 - 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी पप्पन खॉ को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
 - क्या घटना दिनांक को फिरयादी पप्पन खाँ के शरीर पर उपहितयां थी ? यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
 - 4. क्या उक्त उपहतियां फरियादी पप्पन खॉ को आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नो के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी पप्पन खॉ अ०सा० 01, डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 02, ए०एस०आई० तहसीलदार अ०.सा० 3 एवं अजाक अ०सा० 04 को परीक्षित कराया गया है। जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कुमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन के लगभग डेढ साल पहले की सुबह साढ़े 11 बजे की है। वह बस स्टेण्ड पर खड़ा था तभी आरोपी राजेश तोमर ने आकर उससे उधारी के पांच रूपए मांगे थे। उसके पास पांच रूपए नहीं था। आरोपी मां बहन की गालियां बकने लगा था, मां बहन की गालियां उससे सुनने में बुरी लगी थी। इस प्रकार फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा उसे मां बहन की गालियां देना बताया है। किन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी ने वास्तविक रूप से कौन से अश्लील शब्द अभिवंचित किये थे, जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभकारित हुआ था। फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसे गालियां सुनने में बुरी लगी थी। परन्तु यह बात उसके द्वारा प्र0पी0 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने पुलिस

कथन में नहीं बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी पप्पन अ0सा0 01 के कथन प्र0पी0 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से विरोधाभाषी रहे हैं। फरियादी पप्पन अ0सा0 01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया गया है कि आरोपी ने उसे मां बहन की गालियां दी थी, परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी ने वास्तविक रूप से कौन से अश्लील शब्द अभिवंचित किये थे, जिन्हें सुनकर उसे क्षोभ उत्पन्न हुआ था। ऐसी रिश्रति में भादंसं की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भादंसं की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क0 02

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने न्यायलयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि झगड़े के दौरान आरोपी ने उसे जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी। इस प्रकार फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा उसे जान से खत्म कर देने की धमकी दिया जाना बताया है। परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भादंसं की धारा 506 भाग—2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो और उसे सुनकर फरियादी को भय एवं अभित्रास कारित हुआ हो। मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमिकयों से भादंसं की धारा 506 भाग—2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी पप्पन अ0सा0 01 ने यह तो बताया है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भादंसं की धारा 506 भाग—2 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भादंसं की धारा 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क0 03

- 9. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 25.09.2014 को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक बी०एल० जामले द्वारा लाये जाने पर आहत पप्पन का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने आहत पप्पन के तीन चोटे पाई थी जिनमें चोट क० 1 सिर में दाहिनी तरफ पेराईटल रीजन में कटा हुआ घाव, चोट क० 02 सिर में दाहिने तरफ पेराईटल रीजन में चोट क० 1 के पीछे कटा हुआ घाव एवं चोट क० 03 सिर में ऑक्सीपटल रीजन में कटा हुआ घाव रिथत था। आहत के नाक व मुंह से एल्कोहल की बदबू आ रही थी। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटे कठोर एवं धारदार वस्तु से आना संभावित थी एवं सामान्य प्रकृति की थी। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क० 02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें गिरने से आना संभव है।
- 10. फरियादी पप्पन अ०सा० ०१ ने भी अपने कथन में झगड़े के दौरान उसके सिर में चोट आना बताया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन उसके शरीर पर चोटे होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। प्र0पी० ०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी पप्पन अ०सा० ०१ के सिर में चोटे होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी पप्पन अ०सा० ०१ का कथन प्र0पी० ०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पृष्ट रहा है। उक्त बिन्दु पर फरियादी के कथनों की पृष्टि डाँ० धीरज गृप्ता अ०सा० ०२ द्वारा भी की गई

है। डॉ० धीरज गुप्ता चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं। उसकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपी से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी पप्पन अ०सा० ०१ के शरीर पर चोटे होने के बिन्दु पर अखण्डनीय भी रहा है। एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

11. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी पप्पन के शरीर पर उपहतियां थी जिनकी प्रकृति साधारण थी।

विचारणीय प्रश्न क0 04

- 34 मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि उक्त उपहितयां फिरयादी पप्पन को आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई थी। उक्त संबंध में फिरयादी पप्पन अ0सा0 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग डेढ साल पहले की सुबह 11:30 बजे की है। वह बस स्टेण्ड के पास खड़ा था तभी आरोपी राजेश तोमर वहां आ गया था। आरोपी ने उससे उधारी के पांच रूपए मांगे थे। उसके पास पांच रूपए नहीं थी। इसी बात पर आरोपी ने पत्थर उठाकर उसके सिर में मारा था। पत्थर नुकीला था, जिससे उसके सिर से खून निकल आया था। उसके बाद वह थाने गया था। उसने थाने पर रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट प्र0पी0 01 है फिर पुलिस वाले उसे अस्पताल ले गये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका उसके सामने बनाया था जो प्र0पी0 02 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क0 03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना की दिन तारीख महीना वह नहीं बता सकता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है। उसने राजेश तोमर से पांच रूपए बीड़ी बन्डल के लिए लिये थे।
- 13. साक्षी अजाक अ0सा0 04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना के संबंध में जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्व ारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया है।
- 14. साक्षी ए०एस०आई० तहसीलदार अ०सा० ०३ ने विवेचना को प्रमाणित किया हैं।
- 15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 16. प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अजाक अ0सा0 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध मात्र फरियादी पप्पन अ0सा0 1 के कथन शेष हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

- 17. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी पप्पन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी ने घटना के समय पत्थर उठाकर उसके सिर में मारा था, पत्थर नुकीला था, जिससे उसके सिर से खून निकल आया था। इस प्रकार फरियादी पप्पन अ०सा० 1 के कथनों से यही प्रकट होता है कि आरोपी ने फरियादी के सिर में एक बार पत्थर मारा था, जबकि फरियादी पप्पन की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 के अनुसार फरियादी के सिर में तीन कटे हुए घाव स्थित हैं एवं उक्त चोटों का कोई स्पष्टीकरण फरियादी द्वारा नहीं दिया गया है। फरियादी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसके सिर पर तीन चोटे कैसे आई थी, यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- फरियादी पप्पन अ०सा० 1 ने आरोपी द्वारा उसकी नुकीले पत्थर से मारपीट करना बताया है, जबिक चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 3 के अनुसार फरियादी के सिर में तीन कटे हुए घाव पाये गये है तथा चिकित्सक के मतानुसार उक्त चोटे कठोर एवं धारदार वस्तु से आना संभावित थी। फरियादी पप्पन अ0सा0 1 ने आरोपी द्वारा उसकी नुकीले पत्थर से मारपीट करना बताया है जबकि फरियादी के सिर पर कोई नुकीला घाव होना दर्शित नहीं है। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार फरियादी के सिर में तीन कटे हुए घाव पाये गये है एवं फरियादी का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपी द्वारा धारदार आयुद्य से उसकी मारपीट की गई थी। नुकीले पत्थर से कटा हुआ घाव आना संभव नहीं है। फरियादी का ऐसा कहना भी नहीं है कि पत्थर धारदार था। फरियादी पप्पन अ०सा० 1 के कथनों के अनुसार उसकी नुकीले पत्थर के द्वारा मारपीट की गई थी, परन्तु नुकीले पत्थर की कोई चोट, कोई नुकीला घाव फरियादी के शरीर पर होना दर्शित नहीं है। इसके अतिरिक्त फरियादी ने आरोपी द्वारा उसके सिर में एक बार पत्थर मारना बताया है, जबकि चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 3 के अनुसार फरियादी के सिर में तीन कटे हुए घाव स्थित थे। फरियादी का ऐसा कहना भी नहीं है कि आरोपी द्वारा तीन बार उसके सिर में पत्थर मारा गया था। फरियादी द्वारा उसके सिर में आई चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। फरियादी पप्पन ने आरोपी द्वारा उसकी नुकीले पत्थर से मारपीट करना बताया है परन्तु फरियादी के शरीर पर नुकीले पत्थर की कोई चोट आना दर्शित नहीं है। इस प्रकार फरियादी पप्पन अ०सा० 1 के कथन की पृष्टि चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 3 से नहीं हो रही है। यह तथ्य अभियोयजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 19. आरोपी की ओर से यह बचाव लिया गया है कि फिरयादी पप्पन शराब के नशे में जमीन पर गिर गया था एवं गिरने से उसके चोटे आई थी। यद्यिप फिरयादी द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सुझाव को अमान्य किया गया है, परन्तु चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 3 में यह वर्णित है कि परीक्षण के समय फिरयादी के नाक व सिर से एल्कोहल के बदबू आ रही थी। इस प्रकार चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 3 से यह तो स्पष्ट है कि फिरयादी घटना के समय शराब पिये हुए था एवं नशे में था। डाँ० धीरज गुप्ता अ0सा0 2 ने यह भी स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें गिरने से आना संभव है। इसके अतिरिक्त फिरयादी पप्पन अ0सा0 1 के कथन चिकित्सकीय रिपोर्ट से पुष्ट नहीं रहे है। फिरयादी पप्पन अ0सा0 1 ने आरोपी द्वारा उसके एक बार पत्थर मारना बताया है जबिक फिरयादी के सिर में तीन कटे हुए घाव पाये गये है, जिनका कोई स्पष्टीकरण फिरयादी द्वारा नहीं दिया गया है। फिरयादी के कथन की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। साक्षी अजाक अ0सा0 4 द्वारा भी फिरयादी के कथनों का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। ऐसी स्थित में फिरयादी का यह कथन की आरोपी ने उसकी मारपीट की थी, संदेहास्पद हो जाता है एवं बचाव पक्ष अधिवक्ता के

इस तर्क को अधिक बल मिलता है कि फरियादी शराब के नशे में जमीन पर गिर गया था एवं फरियादी को गिरने से चोटे आई थी।

- 20. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अजाक अ0सा0 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी पप्पन अ0सा0 1 के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में फरियादी की एकल असम्पुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 21. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन का अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 22. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 25.09.2014 को 11::30 बजे बस स्टेण्ड गोहद में फरियादी पप्पन खॉ की धारदार पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा0दं0सं0 की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 23. समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 25/09/14 को 11:30 बजे बस स्टेण्ड गोहद में सार्वजिनक स्थल पर फरियादी पप्पन खॉ को मॉ बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया, फरियादी पप्पन खॉ को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी समय फरियादी पप्पन खॉ की धारदार पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजेश तोमर को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भा—2 एवं 324 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 24. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 25. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नही है।

स्थान – गोहद दिनांक – 26/02/2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) ्राधिक प्रकरण कर-स्रितियोगी स्थितियोगी स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्य

SIND SUNTY